चित्रकूट पुलिस

(1). "मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल- जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा "मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई ।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन मुस्कान के क्रम में श्री निशिकान्त राय प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी के मार्गदर्शन में थाना पहाड़ी पुलिस ने अपहृता को सकुशल बरामद किया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 20.05.2026 को एक वादिनी द्वारा थाना पहाड़ी में सूचना दी गयी थी कि दिनांक 20.05.2026 को समय करीब 2.00 बजे दोपहर को वादिया व उसके परिजन घर पर सो रहे थे तभी वादिया की लड़की उम्र करीब 17 वर्ष घर से बिना बताये कहीं चली गई। वादिया व उसके परिजनों द्वारा खोजबीन करने पर पता चला कि अंकेश अपने साथ भगा कर ले गया। सूचना के आधार पर थाना पहाड़ी में मु0अ0सं0 103/2026 धारा 137(2) बीएनएस बनाम अंकेश पंजीकृत किया गया था। प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं पीड़िता की बरामदगी हेतु उ0नि0 श्री सुरेश प्रताप सिंह को निर्देशित किया गया। उ0नि0 श्री सुरेश प्रताप सिंह तथा उनकी टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुए मुखविर की सूचना पर पीड़िता को बरामद किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे है।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री सुरेश प्रताप सिंह
2.रि0 आरक्षी राजदीप यादव
3.महिला आरक्षी सीमा देवी

(3). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष मारकुंडी श्री दीपक कुमार एवं पैरोकार आरक्षी अमरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री आकाश साहू द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0) श्री अंशुमान यादव द्वारा आज दिनाँक 04.07.2026 को थाना मारकुण्डी में पंजीकृत मु0अ0सं0 44/2010 धारा 25 आयुध अधिनियम के आरोपी अभियुक्त अर्जुन कोल पुत्र विजय कोल निवासी जरर थाना गिरवां जनपद बांदा को जेल में बिताई गयी अवधि व 1000/ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

(4). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री राम सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अवधेश कुमार शुक्ला द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी आकाश साहू द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्री अभिनव दुबे द्वारा आज दिनाँक 04.07.2026 को थाना रैपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0 120/2015 धारा 324,323,504,506 के आरोपी अभियुक्त 1.जगतनारायण उर्फ गुड्डू पुत्र श्री रामरूच 2.रामरूच पुत्र रामसजीवन निवासीगण भुजौली थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 800/-800/- रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।